अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. रामप्यारी पुत्री किशनलाल पत्नि रामेश्वर जाति रैगर निवासी ग्राम रामरखपुरा पो0 काशीपुरा तह0 बस्सी जि0 जयपुर
2. फूला देवी पुत्री किशनलाल पत्नि शंकरलाल जाति रैगर निवासी प्लाट नं0 115 लवकुशनगर प्रथम टोंक फाटक जयपुर
3. गोपाली देवी पुत्री किशनलाल पत्नि बाबूलाल जाति रैगर निवासी ग्राम रामरखपुरा पो0 काशीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. जीवनी बेवा किशनलाल
2. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल
3. जगदीश पुत्र किशनलाल
4. मीरा बेबा हरिनारायण
5. अशोक पुत्र हरिनारायण समस्त जाति रैगर निवासी हरिरामपुरा तहसील बस्सी जि0 जयपुर
6. भगवानी देवी पुत्री किशनलाल पत्नि जगदीश जाति रैगर निवासी प्लाट न. 155 लवकुशनगर प्रथम टोंक फाटक जयपुर
7. रामा पुत्री किशनलाल पत्नि हरजी जाति रैगर निवासी ग्राम रामरखपुरा तह0 बस्सी जि0 जयपुर
8. राज सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
9. उप पंजीयक, बस्सी।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय दिनांकः– 18.05.2018

प्रार्थना पत्रः 76/13

प्रपत्र

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 6 उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बिस्वा गै. मु. चाह कुल किता 3 कुल रकबा 9 बिघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। पक्षकारान को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं पक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुननें एंव उपस्थित मौतबिरान से भूमि के संबंध में जानकारी लेने एवं लोक अदातल हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बिस्वा गै. मु. चाह कुल किता 3 कुल रकबा 9 बिघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर को संबंध में उभयपक्षों को पांबद किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2013 को जारी स्थगन आदेश की पालना में उक्त वादग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

आज दिनांक 18.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार राजस्व कोर्ट कैम्प मनोहरपुरा में मजमें आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर